# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक

**(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्याः– 63 / 2022 निर्णय दिनांक :–23.06.2022

**उनवानी अपील :**

1. घीसालाल बैरवा पुत्र छोटू बैरवा निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

**– अपीलान्ट –**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत देवलीगांव, जरिए सरपंच देवलीगांव तहसील–देवली जिला–टोंक राज0
2. तहसीलदार देवली, जिला टोंक

**– रेस्पोडेन्ट –**

**उपस्थिति :–**
**श्री प्रेमचन्द जैन**
**श्री अनिल चौहान**
**अधिवक्ता अपीलान्ट**

**एकपक्षीय कार्यवाही**
**विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1**

**<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 3947 दिनांक 20.08.2018</u>**
**<u>ग्राम पंचायत देवलीगांव</u>**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील से पूर्व अपील में संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम को सुन कर स्वीकार किया गया। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रामप्रसाद पुत्र स्व. गोगा बैरवा ने घीसालाल पुत्र छोटूलाल के पक्ष में एक रिलीज डीड ख. नं. 4362 रकबा 0.24 है. ख. नं. 4363 रकबा 0.46 है0 भूमि वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक का रिलीज डीड दिनांक दिनांक 17.10.16 को पु. सं. 1 जिल्द 214 पृष्ठ 2 क. सं. 201603047101329 व दूसरा रिलिज डीड दिनांक 17.10.16 को पु. सं. 1 जिल्द 214 पृष्ठ 6 क. सं. 201603047101333 पर उपपंजीयन अधिकारी देवली के यहां पंजीबद्ध करवाया गया था। जिसके नामान्तकरण खुलवाने / तस्दीक करवाने के लिए प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज को सरपंच ग्राम पंचायत देवलीगांव के यहा पेश किया गया था। जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत देवलीगांव ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त विवादग्रस्त ख0नं0 का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिन पर यथास्थिति का आदेश हो रखा है। इस कारण नामान्तकरण खारिज किया जाता है साथ ही यह भी अंकित कर दिया कि स्थगन के आदेश पर निर्णय के बाद नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न कारणों के साथ पेश है :–ग्राम पंचायत देवलीगांव

द्वारा खारिज किया गया नामान्तकरण विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। नामान्तकरण खारिज किया गया है जो पूर्णतया गलत है एवं निरस्तनीय है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहा घीसालाल बनाम रामकिशन के नाम से मुकदमा विचाराधीन था जिसके मु0न0 34/16 है जो दिनांक 27.10.2020 को फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो गया है यानि न्यायालय में दावा खारिज हो गया है। अपीलान्ट के हक में रिलीज डीड के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है एवं रिलीज डीड के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है ग्राम पंचायत देवली द्वारा मात्र यह कहते हुए कि न्यायालय में दावा विचाराधीन है जिससे नामान्तकरण गलत रूप से अस्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत देवलीगांव के नामान्तकरण नं0 3947 दिनांक 20.08.18 को सरपंच ग्राम पंचायत देवलीगांव द्वारा खारिज किया गया है नियमानुसार उच्चाधिकारियों द्वारा जांच नहीं करवायी गयी और न जांच करवाने का प्रयास किया। नामान्तकरण खारिज विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नामान्तकरण बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व अपीलान्ट को बिना किसी सूचना किये खारिज कर दिया। उक्त नामान्तकरण को खारिज किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था अथवा कोई नोटिस या सूचना जारी करनी चाहिए थी किन्तु अपीलान्ट को नोटिस जारी किये बिना व कोई सुनवाई का अवसर दिये जाने बिना विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है जो अपीलान्ट के हितो के प्रति प्रभावहीन व शून्य है। उक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किये जाने योग्य था। अपीलान्ट को उक्त खारिज हुए नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में नहीं थी और न ही दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के यहा विचाराधीन के खारिज होने की जानकारी थी। अपीलान्ट विवादित भूमि को काश्त कर रहे है लेकिन कुछ समय पूर्व पटवारी हल्का द्वारा केसीसी के ऋण के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त करने गये तब ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का नामान्तकरण खारिज हो चुका है जिस पर अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण खारिज हो चुका है जिस पर अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण से संबंधित नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया एवं अपने अधिवक्ता से संपर्क किया कि मेरा दावा जो न्यायालय में विचाराधीन था उसकी क्या कार्यवाही हुई ? तो अधिवक्ता द्वारा यह अवगत करवाया गया कि आपका दावा दिनांक 27.10.20 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया है। जिसकी नकल प्राप्त करने के बाद अब खर्चे पानी का इन्तजाम कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के आज पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई चूक नही की है जो भी चूक हुई हे वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी कंडोन किये जाने हेतु अपीलान्ट पृथक धारा 5 भा0प0अ0 का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अपील पूर्ण न्याय शुल्क पर नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश है जिसका श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय

को है। अन्य कारण बरवक्त बहस पूर्व अनुमति प्राप्त कर निवेदन किये जावेंगे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत देवलीगांव द्वारा पारीत नामान्तकरण सं. 3947 दिनांक 20.08.18 को अपास्त कर आराजी ख. नं. जो रिलीज डीड में अंकित किये गये है को वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक कर अपीलान्ट के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का इस अपील प्रकरण में उतरदायित्व नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के मुख्य तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत देवलीगांव ने नामान्तकरण केवल इसलिए खारिज कर दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय दिनांक 29.04.16 के अनुसार नामान्तकरण में दर्ज ख. नं. पर मौके व रिकॉर्ड की स्थिति पर यथावत रखने का स्थगन आदेश है, और देवली गांव कोरम के प्रस्ताव संख्या 18 से खारिज कर दिया जबकि दावा संख्या 34/16 घीसालाल जिसमें उक्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन था, दिनांक 27.10.2020 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। अतः देवलीगांव द्वारा पारीत नामान्तकरण सं. 3947 दिनांक 20.08.18 को अपास्त कर आराजी ख. नं. जो रिलीज डीड में अंकित किये गये है को वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक कर अपीलान्ट के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण पंजिका ग्राम देवलीगांव में प्रविष्टि संख्या 3947 में इस नोट का अंकन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय दिनांक 29.04.16 के अनुसार नामान्तकरण में दर्ज खसरा नम्बरान पर मौके व रिकॉर्ड की स्थिति पर यथावत रखने का स्थगन आदेश है और भू. अभि. निरीक्षक देवलीगांव ने अंकन किया है कि रिपोर्ट पटवारी दिनांक 20.08.18 के अनुसार स्थगन होने से न्यायालय के स्थगन पर निर्णय के बाद ही नामान्तकरण अस्वीकार या स्वीकार योग्य है। सरपंच द्वारा की यह टिप्पणी अंकित है कि आज दिनांक 20.08.18 को कोरम मे प्रस्ताव संख्या 18 से खाते में स्टे होने से खारीज किया जाता है। अन्य दस्तावेज पटवारी रिपोर्ट देवलीगांव के अनुसार दिनांक 20.8.18 कोरम में प्र. सं. 18 द्वारा खारिज किया गया है। अतः नाामन्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में किया जाना उचित है। प्रमाणित नकल वाद संख्या 34/16 उनवान घीसालाल बनाम रामकिशन वगै की आदेशिका दिनांक 27.10.2020 की अनुसार पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई है।

पील संख्याः–63/2022 उनवानः घीसालाल बनाम ग्राम पंचायत देवलीगांव
र्णय दिनांकः–23.06.2022

उक्त दस्तावेजात के गहन अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ख. नं. 4362 व 4363 वाके ग्राम देवलीगांव, में किये गये हक त्याग का नामान्तकरण ग्राम पंचायत ने कोर्ट में वाद विचाराधीन होने व विवादित खसरा नम्बरान पर स्टे होने से ग्राम पंचायत कोरम देवलीगांव द्वारा नामान्तकरण संख्या 3947 से खारिज कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय हाजा प्रमाणित नकल वाद संख्या 34/16 उनवान घीसालाल बनाम रामकिशन वगै की आदेशिका दिनांक 27.10.2020 की अनुसार उक्त विवादित ख. नं. 4362 व 4363 वाके ग्राम देवलीगांव का वाद/पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः नामान्तकरण संख्या 3947 दिनांक 20.08.18 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बरान की विधिक जांच कर, किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में, सही पाये जाने पर अपीलान्ट के नाम नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
देवली